न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 39/2023

प्रार्थी

1. श्री सुजाराम पुत्र श्री नोपाराम जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री मोहन पुत्र श्री नोपाराम जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री देवाराम पुत्र श्री हेमाजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री भेराराम पुत्र श्री वेनाजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्रीमती गीता देवी पत्नि स्व. श्री देवाराम जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती सुखीदेवी पत्नि स्व. श्री सोमाराम जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री हिम्मतराम पुत्र स्व. श्री सोमाराम जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री प्रकाश पुत्र स्व. श्री सोमाराम जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. ग्राम पंचायत झाडौली पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नरपतसिंह देवडा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा श्री थानसिंह पुत्र श्री नोपसिंह जाति राजपूत निवासी झाडौली के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 51 दिनांक 18.12.1963 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा श्री थानसिंह पुत्र श्री नोपसिंह जाति राजपूत निवासी झाडौली को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। उक्त विवादित पट्टा तत्कालीन पंचायत द्वारा सामान्य नियम 1961 के नियमों की पूर्णतया अनदेखी कर एवं अनियमितता कर जारी किया गया है। यह है कि पट्टाधारक श्री थानसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा पट्टाधारक श्री थानसिंह की मृत्यू के बाद उनके पुत्र भँवरसिंह पुत्र थानसिंह ने उक्त पट्टे वाली सम्पति जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 16.11.1977 को अप्रार्थी संख्या एक के पति तथा अप्रार्थी संख्या दो से तीन के पिता श्री सोमाराम पुत्र ताराजी जाति घांची निवासी झाडोली को विक्रय की है। यह कि क्रेता श्री सोमाराम की भी मृत्यू हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या एक से तीन मृतक सोमाराम के विधिक वारिसदार एवं कायम मुकाम है। यह कि उक्त पट्टा पुराने पंचायत नियम 266 (घ) के तहत सर्वथा गलत रूप से जारी किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर पट्टाधारक श्री थानसिंह का मकान या निवास नही रहा वरन उक्त भूमि तीन खाली भूखण्ड के रूप मे थी, जबकि उक्त नियम केवल पुश्तैनी कब्जेशुदा मकानों के पट्टा जारी करने के सम्बन्ध मे ही लागू होता है। यह कि तत्कालीन पंचायत ने पडत खालसा भूमि का आलौच्य पट्टा जारी किया है, जो नियमों के विपरीत है। तत्कालीन पंचायत ने पट्टाधारक के पुराने कब्जे के सम्बन्ध मे कोई जाँच नही की और न ही अडौसी–पडौसियों के बयान लिये। पट्टा धारक का कब्जा कितना पुराना था इस बाबत भी तत्कालीन पंचायत ने कोई जाँच नहीं की। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि नियम 266 के तहत उसी परिस्थिति मे पट्टा जारी किया जा सकता था जबकि आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर स्वत्वः के सम्बन्ध मे विश्वस्त दावा हो और नीलामी का सुविधाजनक तरीका न हो। प्रश्नगत भूमि पट्टाधारक के स्वत्वः की रही हो इस सम्बन्ध में भी तत्कालीन पंचायत ने कोई जाँच नहीं की। स्वयं पट्टाधारक ने पट्टा प्राप्ति हेतु जो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत किया था, उसमे भी कब्जा कितना पुराना है तथा स्वत्वः किस प्रकार है इस बाबत कोई कथन नही किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र मे खुद पट्टाधारक ने खुली जमीन होना बताया है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा नियमो के विपरीत जारी करने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि तत्कालीन ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व प्रश्नगत स्थल का नियम 251 के तहत कोई नक्शा तैयार नही किया और न ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई, जबकि ऐसा करना आज्ञापक था। पंचायत ने मात्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत नक्शे के आधार पर पट्टा जारी किया था, जो नियमो के विपरीत है। यह कि तत्कालीन पंचायत ने उक्त पट्टा 7680 वर्गफीट का जारी किया है, जो नियमो के विपरीत है। इतनी अधिक तथा खुली भूमि का पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त पंचायत ने मात्र 51 रूपये मे उक्त पट्टा जारी किया है, जबकि पट्टा जारी करते समय भी प्रश्नगत भूमि की बाजार कीमत कम से कम रूपये 50/– प्रति वर्गफीट रही है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी करते समय कम से कम 3,84,000/– तीन लाख चौरासी हजार रू० की थी। अतः रूपये 51/– मे पट्टा किस आधार पर जारी किया गया तथा उक्त दर का निर्धारण किस आधार पर किया गया इस बाबत तत्कालीन पंचायत ने कोई आधार नही बताया और इस आधार पर भी प्रश्नगत पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि पट्टा जारी करने से पूर्व तत्कालीन पंचायत के द्वारा कोई आपत्ति नोटिस जारी नही किये गये, जिससे प्रार्थीगण एवं अडौसी पडौसी एवं गाँव के अन्य लोगो को प्रश्नगत पट्टा जारी होने की जानकारी नही हुई और वे आपत्ति करने से वंचित रह गये। यह कि आलौच्य पट्टा संख्या 51 दिनांक 18.12.1963 श्री थानसिंह पुत्र नोपसिंह को जारी किया गया था, लेकिन पट्टाधारक की मृत्यु हो जाने तथा मृतक के वारिसदारों द्वारा प्रश्नगत पट्टे की भूमि अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन के पूर्वज श्री सोमारामजी को विक्रय कर देने से पट्टाधारक के वारिसदार आवश्यक पक्षकार नही होने से उन्हे इस निगरानी मे पक्षकार नही बनाया है। यह कि निगरानी अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अवैध एवं विधि विरूद्ध जारी किये गये पट्टे को निरस्त करवाने हेतु विधि मे कोई अवधि नियत नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध माह जुलाई 2022 मे श्री सिविल जज, पिण्डवाडा के समक्ष वाद प्रस्तुत करने से प्रार्थीगण को आलौच्य पट्टा जारी होने की

जिला कलेक्टर, सिरोही

जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत झाडोली से दिनांक 16.01.2023 को पट्टे के मिसल प्राप्त की है लेकिन मिसल में पट्टा की प्रति उपलब्ध नही होने से पट्टे की सत्य प्रति प्राप्त नही हुई। इस प्रकार यह निगरानी युक्ति युक्त समय मे बिना देरीना प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आलौच्य पट्टा संख्या 51 दिनांक 18.12.1963 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक से तीन के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर नियम 266 के तहत 51 रूपये शुल्क लेकर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। यह कि उक्त पट्टा की सम्पति पर पट्टा जारी करने से पूर्व से कब्जा मकानात बने हुये थे एवं उक्त भूखण्ड पर श्री थानसिंहजी अपने परिवार सहित निवास करते थे तथा उक्त सम्पति में तीन केलुपोश मकान बने हुये थे। प्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी घांची पदमा वल्द राजा, चमना वल्द खासा का पट्टा संख्या 61 दिनांक 29.05.1952 को कलेक्टर सिरोही द्वारा 9768.5 वर्गफुट का जारी किया गया था। उक्त पट्टे के उत्तर दिशा में राजपूत थाना नोपा का मकान का उल्लेख किया गया है। इससे भी यह पूर्णतया प्रमाणित है कि कलेक्टर सिरोही द्वारा उक्त पट्टा जारी करने के पूर्व से श्री थाना पुत्र नोपा राजपूत का मकान निर्मित था तथा अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी सोमारामजी द्वारा दिनांक 16.11.1977 को उक्त पट्टशुदा सम्पति को क्रय की, जिसमें भी तीन केलुपोश के मकान बने हुये है, का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह पूर्णतया प्रमाणित है कि पट्टेशुदा सम्पति पर पूर्व से तीन केलूपोश मकान बने हुये थे तथा ग्राम पंचायत द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाकर ही नियमों के अंतर्गत पट्टा जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी स्वयं के पूर्व रसाधिकारियों के नाम से 9768.5 वर्गफुट का पट्टा जारी किया हुआ है। पहले इस प्रकार से पट्टा जारी करने में कोई बाधा या रोक नहीं थी, जिससे तत्कालीन पंचायत में नियमों के अंतर्गत ही नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। यह कि प्रार्थीगण की यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के संबंध कोई Locus Standy नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से तीन के मकानात पुराना बस स्टेण्ड रोज वार्ड संख्या 7 में गॉव झाडोली में आये हुये है तथा मुख्य रास्ते से अन्दर सार्वजनिक गली के अन्त में अप्रार्थीगण का उक्त पट्टेशुदा रहवासीय मकान स्थित है, जो सार्वजनिक गली अप्रार्थीगण के मकान पर जाकर समाप्त होती है, जहाँ पर अप्रार्थीगण का अपने मकान पर आने जाने, कृषि संबंधित वाहन, मवेशी लाने ले जाने का एक मात्र उक्त रास्ता है, इसके अलावा अप्रार्थीगण के मकान में जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। उक्त सार्वजनिक गली के प्रारम्भ में ही प्राथीगण के मकानात आते है। उक्त सार्वजनिक गली कदीम से 16 फीट चौडी चली आ रही थी एवं अप्रार्थीगण सालों से इसका उपयोग करते आ रहे थे। लेकिन प्रार्थी संख्या तीन श्री देवाराम ने सन् 1997 में जो कि उपसरपंच के पद पर था एवं प्रार्थी संख्या एक श्री सुजाराम उसका कुटुम्बी भाई है। इन दोनो ने आपस मे मेल मिलाप कर कदीम समय से 16 चौडी चली आ रही गली में अवैध अतिक्रमण करने एवं अवरोध कारित करने के दुराशय से ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के मकानात के दरवाजे उक्त गली में खोल दिये व गली में साढे तीन फीट अतिक्रमण कर सीढियों और पेडले बना दिये एवं गली को अवरोधित कर दिया एवं गली की चौडाई कम दिखाने की दृष्टि से उन पेडलो के आगे नाली भी बना दी, जिस पर श्रीमती सुखी देवी ने जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की, तब श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश से उक्त अतिक्रमण 2006 में हटा दिया एवं गली को पूर्व की भांति 16 फिट चौडा कर दिया, उसके पश्चात् सन् 2015 में पुनः प्रार्थीगण की ओर से उक्त गली में अतिक्रमण करने के लिए पेडले व सीढियाँ निकाल कर गली को अवरोधित कर दिया, जिससे अप्रार्थी संख्या एक सुखीदेवी द्वारा कार्यवाही करने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश से मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट की, जिसमें प्रार्थी संख्या एक से चार द्वारा अपने मकान के पीछे पश्चिम दिशा में गली में पेडला व सीढियाँ बनाकर अवरोध कारित

जिला कलेक्टर, सिरोही

किया, जिस पर ग्राम पंचायत झाडौली ने दिनांक 29.06.2015 को प्रस्ताव संख्या एक लेकर उक्त अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया, लेकिन राजनितिवश उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया। इस दौरान प्रार्थी संख्या पाँच गीता देवी ग्राम पंचायत झाडोली में वार्ड पंच के पद पर नियुक्त हो गयी, जिससे पंचायत उसके पक्ष में प्रभावित होकर गली में से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। इनके द्वारा किये गये अतिक्रमण से अब गली 9 फीट रह गई है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जिला परिषद सिरोही में दिनांक 25.03.2019 को पुनः शिकायत की, जिस पर जिला परिषद में दिनांक 30.06.2020 और दिनांक 07.07.2020 को विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को प्रार्थीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 07.01.2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया। इसके उपरांत भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध गली में किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए एक सिविल वाद सिविल जज पिण्डवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो वाद संख्या 21/2022 पर दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त रंजिश को रखते हुए तथा अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के दुराश्य से गलत कथनों का सहारा लेकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 51 दिनांक 18.12.1963 को श्री थानसिंहजी पुत्र नोपसिंहजी को जारी किया गया था। निगरानी में पट्टाधारी आवश्यक पक्षकार होता है, जिनकी मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसदार व कायम मुकाम आवश्यक पक्षकार होते है, जिनकों जानबूझकर प्रार्थीगण ने पक्षकार नहीं बनाया है। उन्हें पक्षकार नहीं बनाने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही परिपोषणीय नहीं है। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त सम्पत्ति रजिस्टर विक्रय विलेख दिनांक 16.11.1977 को अप्रार्थी संख्या एक के पति सोमारामजी द्वारा क्रय करना बताया है। इस प्रकार इन दस्तावेजात की जानकारी शुरूआत से ही प्रार्थीगण को है। लेकिन प्रार्थीगण की ओर से गली में अतिक्रमण करने एवं अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कार्यवाही करने के बदईरादे से गलत कथनों का सहारा लेते हुए पट्टा जारी करने के लगभग 60 वर्ष पश्चात् उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित दिशा निर्देशों के तहत युक्तियुक्त अवधि में प्रस्तुत नहीं मानी जा सकती एवं निगरानी प्रार्थना पत्र अवधि बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमावें तथा अप्रार्थीगण को विशेष हर्जाना के रूपये 25,000/– भी प्रार्थीगण से दिलाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

श्री थानसिंह पुत्र श्री नोपसिंह जाति राजपूत निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को उक्त पट्टा संख्या 51 दिनांक 18.12.1963 क्षेत्रफल 7680 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत 51/– रूपये शुल्क लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा श्री थानसिंह पुत्र श्री नोपसिंह जाति राजपूत निवासी झाडौली जिला सिरोही के हक में उक्त विवादित पट्टा संख्या 51 दिनांक 18.12.1963 को जारी किया गया था तथा पट्टाधारक श्री थानसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री भँवरसिंह

जिला कलेक्टर, सिरोही

पुत्र थानसिह ने उक्त पट्टे वाली सम्पति जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 16.11.1977 को अप्रार्थी संख्या एक के पति तथा अप्रार्थी संख्या दो से तीन के पिता श्री सोमाराम पुत्र ताराजी जाति घांची निवासी झाडोली को विक्रय कर दी। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर पट्टाधारक श्री थानसिंह का मकान या निवास नही रहा वरन उक्त भूमि तीन खाली भूखण्ड के रूप मे थी, जबकि उक्त नियम केवल पुश्तैनी कब्जेशुदा मकानों के पट्टा जारी करने के सम्बन्ध मे ही लागू होता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि घांची पदमा वल्द राजा, चमना वल्द खासा को स्टेट के समय में जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 29.05.1952 में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में राजपूत थाना नोपा के मकान का उल्लेख किया गया है तथा अप्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी श्री सोमारामजी के हक में किए गए विक्रय विलेख दिनांक 16.11.1977 में भी उक्त भूखण्ड पर मकान व प्लॉट होने का उल्लेख किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर मकान बना हुआ था। अतः प्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा उक्त विवादित पट्टा खाली भूखण्ड का जारी किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा उक्त विवादित पट्टा श्री थानसिंह पुत्र श्री नोपाजी राजपूत निवासी झाडौली के हक में जारी किया गया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में श्री थानसिंह या उनके किसी भी विधिक वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से तीन को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है, जबकि इनके द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखण्ड को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा पंचायत सामान्य नियम 1961 के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी कर एवं अनियमितता कर पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा पंचायत सामान्य नियम 1961 के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी कर एवं अनियमितता कर पट्टा जारी किया है, परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा पंचायत सामान्य नियम 1961 के प्रावधानों की किस प्रकार से अनियमितता की गई है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के सम्बन्ध में मिसल का संधारण कर पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी का उक्त विवादित पट्टेशुदा भूखण्ड से किसी भी प्रकार का हित/अहित प्रभावित होना नहीं होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रथमदृष्टया गली पर अतिक्रमण किए जाने से सम्बन्धित वाद प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य एक सिविल वाद न्यायालय सिविल जज पिण्डवाडा में लम्बित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विवादित पट्टा जारी करने के लगभग 60 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है और इसके सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को काफी विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी स्पष्ट नहीं किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा श्री थानसिंह पुत्र श्री नोपरिंह जाति राजपूत निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 18.12.1963 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही